AAE - 2(H)

सहायक लेखा अधिकारी (सिविल) परीक्षा

अक्तूबर, 2012

सेवा नियम (पुस्तकों सहित)

समय: 2 घंटे

अधिकतम अंक : 65

अनुमत पुस्तकें :

- 1. मूल नियमों एवं पूरक नियमों का संकलन, खंड-। तथा II
- 2. केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 1944
- 3. केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम, 1972
- 4. परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम
- 5. केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियम, 1972
- 6. छुट्टी यात्रा रियायत नियम
- 7. सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960
- 8. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह वीमा स्कीम 1980
- 9. पुनः नियोजित पेंशन भोगियों को पेंशन दिए जाने संवंधी आदेश

उपलब्ध कराए जाने वाले फार्म :

1. यात्रा भत्ता विल फार्म (स्थानांतरण पर) 2. छुट्टी खाता फार्म।

टिप्पणियां :

- (1) इस प्रश्न पत्र में 6 प्रश्न और 6 पृष्ठ हैं।
- (2) प्रश्न संख्या 1 और 2 अनिवार्य है। शेष में से किन्हीं तीन के उत्तर दीजिए।
- (3) परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रश्नों के स्पष्ट और सटीक उत्तर दें और नियमों के संवंधित प्रावधानों (जहां लागू हो) का उल्लेख करें।
- 1. निम्नलिखित ब्योरे से अधिवर्षिता पंशन, सेवानिवृत्ति उपदान, पंशन का संराशीकृत मूल्य और परिवार पंशन की गणना कीजिए:- (20 अंक)
 - 1. जन्म की तारीख: 01.08.1952
 - 2. लेखाकार के रूप में सेवा आरम्भ करने की तारीख : 14.09.1975
 - 3. स्थायीकरण की तारीख: 01.01.1980

- 4. 10.04.1982 से लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नत हुआ और अंततः 31.08.2009 पूर्वाह्न से भारतीय सिविल लेखा सेवा के किनष्ठ समय मान में शामिल कर लिया गया। अधिकारी का वेतन ₹24,600 + ग्रेड वेतन ₹5,400 नियत किया गया और वेतनवृद्धि की अगली तारीख 01.07.2010 (वेतन वैंड-3) निर्धारित की गई।
- 16.04.2012 को भारतीय सिविल लेखा सेवा के विरष्ठ समय मान वेतन बैंड-3,
 ₹15,600 39,100 + 6,600 (ग्रेड वेतन) में पदोन्नत कर दिया गया।
- अर्जित छुट्टी से भिन्न निम्नलिखित छुट्टियां लीं :-
 - (i) चिकित्सा प्रमाणपत्र पर 05.10.1993 से 25.10.1993 तक 21 दिन की असाधारण छुट्टी।
 - (ii) वैयक्ति कारणों से 01.05.1999 से 30.06.1999 तक असाधारण छुट्टी।
 - (iii) 07.08.2000 से 30.09.2000 तक अर्ध वेतन छुट्टी।
 - (iv) 30.06.2002 से 30.07.2002 तक परिवर्तित छुट्टी।
- अधिकारी को 01.04.1984 से 31.07.1984 तक निलम्बनाधीन रखा गया और इस अविध को सभी प्रयोजनों के लिए 'अकार्य दिवस' माना गया।
- 8. 01.10.2006 से 30.09.2007 तक अन्यत्र सेवा पर रहा। छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान आदाता संगठन द्वारा अदा किए जाने थे। छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान की अदायगी के समर्थन में अधिकारी की सेवा पुस्तिका में कोई प्रविष्टि दर्ज नहीं पाई गई।
- 9. महंगाई भत्ता वेतन का 72% है।
- निम्नलिखित व्योरे से समूह 'क' अधिकारी श्री एक्स को नई दिल्ली से मुंबई उनके स्थानांतरण पर स्वीकार्य स्थानांतरण यात्रा भत्ता ज्ञात कीजिए:- (15 अंक)
 - (i) स्थानांतरण के समय वेतन ₹22,320 प्रतिमाह और ग्रेड वेतन ₹7,600 प्रति माह।
 - (ii) परिवार में पत्नी, 10 वर्ष और 8 वर्ष आयु के दो पुत्र शामिल हैं। 24 वर्ष और 15 वर्ष आयु के दो आश्रित भाई और उसके साथ रहने वाली एक विधवा बहन जिसकों किराए से ₹4,000 प्रति माह की आय होती है, ने भी उसके साथ यात्रा की।

- (iii) अधिकारी ने 2-5 को राजधानी एक्सप्रेस से वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में यात्रा की जो नई दिल्ली स्टेशन से 16.05 बजे चलकर 3-5 को 8.25 बजे मुंबई पहुंचती है।
- (iv) उसके परिवार ने मुंबई में सरकारी रिहायशी आवास उपलब्ध न होने के कारण उसके साथ यात्रा नहीं की।
- (v) अधिकारी 6 जून को विमान द्वारा मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुआ।
- (vi) अपनी पत्नी और दो पुत्रों सहित अधिकारी 12-6 को डाक गाड़ी से मुंबई के लिए नई दिल्ली से 8.00 बजे रवाना हुआ और 13-6 को 7.30 बजे मुंबई पहुंचा। यात्रा वातानुकूलित यान 2-टीयर द्वारा की गई।
- (vii) अधिकारी के भाई 3-7 को 8.00 वजे नई दिल्ली से रवाना हुए और 4-7 को 7.30 वजे मुंबई पहुंचे। यात्रा वातानुकूलित यान 2-टीयर द्वारा की गई।
- (viii) 7000 कि.प्रा. वजन का व्यक्तिगत सामान सड़क मार्ग से ले गए और एक निजी कम्पनी को ₹40,500 अदा किए। दिल्ली से मुंबई की दूरी 1,550 कि.मी. हैं।
- (ix) आवास और रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी दिल्ली में 10 कि.मी. और मुंबई में 5 कि.मी. है।

(x) किराए इस प्रकार हैं : राजधानी एक्सप्रेस से वातानुकूलित प्रथम श्रेणी ₹3,665 डाकगाड़ी से वातानुकूलित प्रथम श्रेणी ₹2,820 वातानुकूलित 2-टायर ₹1,655 विमान किराया ₹6,500

3. (क) सेवा के निम्नलिखित अभिलेख से केंद्रीय सरकार के एक अधिकारी के खाते में 1.1.2010 को जमा (i) अर्जित छुट्टी (ii) अर्घ वेतन छुट्टी की गणना कीजिए तथा छुट्टी खाता फार्म में भी भरें:-

(८ अंक)

(1) जन्म की तारीख

02.11.1950

(2) सेवा आरम्भ की तारीख

03.10.1969

(3) 01.07.2005 को उसके खाते में शेष छुट्टी इस प्रकार थीं : अर्जित छुट्टी 169 दिन अर्ध वेतन छुट्टी 90 दिन

- (4) उसके बाद वह निम्नलिखित अवधियों के लिए छुट्टी पर रहा :-
 - (क) 09.08.2005 से 21.08.2005 तक असाधारण छुट्टी
 - (ख) 11.06.2008 से 20 दिन की अर्जित छुट्टी और उसके बाद 40 दिन की परिवर्तित छङ्गी।
- (5) 01.09.2008 से 26 दिन की अनिधकृत अनुपस्थिति जिसे 'अकार्य दिवस' माना गया।
- (6) 15.11.2008 को नई दिल्ली को उनका स्थानांतरण होने पर उन्हें स्वीकार्य 15 दिन के स्थान पर उन्होंने 8 दिन की कार्यग्रहण अवधि का उपयोग किया।
- (ख) यह मानते हुए कि अधिकारी ने 01.01.2010 के वाद कोई छुट्टी नहीं ली, अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति पर अधिकारी को उपलब्ध अर्जित छुट्टी के नकदीकरण की गणना कीजिए। सेवानिवृत्ति की तारीख को उनके वेतन का व्योरा इस प्रकार है:-(2 3 年)

21,530 वेतन बैंड में मूल वेतन 5,400 ग्रेड वेतन महंगाई भत्ता 45% की दर से 12,119 8.079

मकान किराया भत्ता

(क+ख कुल 10 अंक)

4. (क) ₹5,200-20,400+2,400 के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में ₹9,340+2,400 वेतन आहरित करने वाले एक लेखाकार को 01.12.2009 से उसी वेतन वैंड परन्तु ₹2,800 के ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया। वह 01.08.2010 से 61 दिन के लिए बिना चिकित्सा प्रमाणपत्र के असाधारण छुट्टी पर और इसी की निरन्तरता में 31 दिन की अर्जित छुट्टी और 120 दिन की अर्थ वेतन छुट्टी पर रहा। उसे 01.03.2011 से लेखाकार के उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया। उसे पुनः 01.06.2011 से ₹5,200-20,400+2,800 के वेतन वैंड और ग्रेड वेतन में पदोन्नत कर दिया गया।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया कि यदि अधिकारी छुट्टी पर नहीं जाता तो वह उच्चतर पद पर कार्य करना जारी रखता।

समय-समय पर अधिकारी का वेतन और उचच्तर पद पर उसके वेतन वृद्धि की अगली तारीख नियत कीजिए। (6 3 年)

- (ख) निम्नलिखित को छुट्टी यात्रा रियायत मंजूर करने से संवंधित प्रावधान क्या हैं :-
 - (i) पुनर्नियोजित अधिकारी
 - (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए सरकारी कर्मचारी। (2 अंक प्रत्येक) (कुल 10 अंक)
- 5. निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए:-
 - (क) प्रतिपूरक भत्ते मंजूर किए जाने को शासित करने वाले सामान्य सिद्धांन्त। वताइए कि निम्नलिखित प्रतिपूरक भत्ते हैं अथवा नहीं :-
 - (i) दैनिक भत्ता
 - (ii) गुजारा भत्ता
 - (iii) निजी प्रैक्टिस के बदले में डाक्टरों को दिया जाने वाला प्रैक्टिस बंदी भत्ता (3 अंक)
 - (ख) "अगला निचला नियम" और इसके द्वारा प्रदत्त लाभ

(3 अंक)

- (ग) जब किसी सरकारी कर्मचारी को भारत में अन्यत्र सेवा पर भेजा जाता है तो कर्मचारी भेजने वाले प्राधिकरण को देय विभिन्न प्रकार के अंशदान। (3 *अंक*)
- (घ) गुजारा भत्ते का दावा करने के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला अपेक्षित प्रमाण-पत्र। (1 अंक) (कुल 10 अंक)
- 6. (क) निम्नलिखित ब्योरे से वर्ष 2011-2012 के लिए सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज की गणना कीजिए:-
 - (i) 31.03.2011 की स्थिथि के अनुसार अंत शेष

₹82,000

(ii) मासिक अभिदान

₹4,000

8%

(iii) ब्याज दर

- (iv) जून, 2010 के दौरान ₹10,000 का अग्रिम लिया गया जो 20 वरावर किस्तों में वसल किया जाना है।
- (v) जून, 2011 के दौरान ₹6,,000 का अग्रिम लिया गया जो वकाया अग्रिम सहित 10 वरावर किस्तों में वसूल किया जाना है। (6 अंक)

(ख) निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए:-

- (i) प्रतिपूर्ति पेंशन
- (ii) अनुकम्पा भत्ता
- (iii) वे परिस्थितियां जिनके अंतर्गत कोई सरकारी कर्मचारी किसी पद पर 'लियन' वनाए रखता है।
- (iv) वैयक्तिक वेतन

(1x4=4 अंक)

(कुल 10 अंक)

AAE - 2(E)

ASSISTANT ACCOUNTS OFFICER (CIVIL) EXAMINATION

OCTOBER, 2012

SERVICE RULES (With Books)

Time Allowed: 2 Hours

Maximum Marks: 65

Books allowed:

- 1. Compilation of FRs and SRs Vol.I and II.
- 2. Central Service (Medical Attendance) Rules 1944.
- 3. Central Civil Services (Pension) Rules 1972.
- 4. Defined Contributory Pension Scheme.
- 5. Central Civil Services (Leave) Rules 1972.
- 6. Leave Travel Concession Rules.
- 7. General Provident Fund (CS) Rules 1960.
- 8. Central Government Employees Group Insurance Scheme 1980.
- 9. Pension to Re-employed Pensioners.

Forms to be supplied:

- . TA Bill Form (Transfer) 2. Leave Account Form.
- **Note:** 1. This question paper contains 6 pages and has 6 questions.
 - 2. Question No.1 and 2 are compulsory. Attempt any three of the remaining questions.
 - 3. The candidates would be expected to answer in a clear and cogent manner and invite reference to the relevant provisions of Rules (wherever applicable).
- 1. Calculate the superannuation pension, retirement gratuity, commuted value of pension and family pension from the following particulars:-

1. Date of birth

: 01.08.1952

2. Joined service as Accountant on

14.09.1975

3. Date of confirmation

01.01.1980

- Promoted as Accounts Officer with effect from 10.04.1982 and ultimately inducted into JTS of ICAS with effect from 31.08.2009 FN. His pay was fixed at ₹24,600 plus Grade Pay ₹5,400 with DNI on 01.07.2010. (PB-3)
- 5. Promoted to Senior Time Scale of ICAS PB-3 ₹15,600-₹39,100+6,600 (Grade Pay) on 16.04.2012.
- 6. Availed the following spells of leave, other than earned leave:-
 - (i) Extra ordinary leave for 21 days from 05.10.1993 to 25.10.1993 on medical certificate.
 - (ii) Extra ordinary leave from 01.05.1999 to 30.06.1999 due to personal reasons.
 - (iii) Half pay leave from 07.08.2000 to 30.09.2000.
 - (iv) Commuted leave from 30.06.2002 to 30.07.2002.
- 7. He was placed under suspension from 01.04.1984 to 31.07.1984 and the period was treated as 'dies-non' for all purposes.
- 8. Remained on Foreign Service from 01.10.2006 to 30.09.2007. Leave salary and pension contributions were to the paid by the borrowing organization. No entry in support of payment of leave salary and pension contribution was found recorded in his Service Book.
- 9. Dearness Allowance is 72% of pay. (20 marks)
- 2. From the following data, work out the transfer T.A. admissible to Group 'A' officer Mr. X, on his transfer from New Delhi to Mumbai:-
 - (i) Pay at the time of transfer ₹22,320 p.m. plus grade pay ₹7,600 p.m.
 - (ii) Family consists of wife, two sons aged 10 years and 8 years. Two dependent brothers aged 24 and 15 years and a widowed sister having rental income of ₹4,000 p.m. residing with him also travelled with him.

- (iii) The officer travelled by AC First Class on 2-5 by Rajdhani Express which leaves New Delhi station at 16.05 hours and reaches Mumbai at 8.25 hours on 3-5-
- (iv) His family did not travel with him due to non-availability of Government residential accommodation at Mumbai.
- (v) The officer left Mumbai for New Delhi by air on 6th June.
- (vi) The officer accompanied by his wife and two sons left for Mumbai on 12-6- by Mail train leaving New Delhi at 8.00 hours and reached Mumbai on 13-6- at 7.30 hours. Travelled by AC 2-Tier.
- (vii) Brothers of officer left New Delhi on 3-7- at 8.00 hours and reached Mumbai at 4-7- at 7.30 hours. Travelled by AC 2-Tier.
- (viii) Carried personal effects weighing 7000 Kg. by road and paid ₹40,500 to a private transport company. Distance from Delhi to Mumbai is 1,550 Km.
- (ix) The distance between residence and Railway Station is 10 Km. at Delhi and 5 Km. at Mumbai.
- (x) Fares are as under:

By Rajdhani Express	AC First Class	₹3,665
By Mail Train	AC First Class	₹2,820
	AC 2 tier	₹1,655
Air fare		₹6,500

(15 marks)

3. (a) Calculate the (i) earned leave (ii) half-pay leave at the credit of Central Govt. officer on 1-1-2010 from the following record of the service and fill up the same in leave Account Form:-

(1) Date of birth

02-11-1950

(2) Date of joining service

03.10.1969

(3) Balance of leave at his credit on 01-07-2005 was as under:

Earned leave

169 days

Half pay leave

90 days

- (4) He was on leave for the following periods thereafter:-
 - (a) Extra ordinary leave from 09-08-2005 to 21-08-2005.
 - (b) Earned leave for 20 days from 11-06-2008 followed by 40 days of commuted leave.
- (5) 26 days of unauthorized absence from 01-09-2008 treated as 'dies-non'
- (6) On his transfer to New Delhi on 15-11-2008 he availed of 8 days joining time against the admissible 15 days. (8 marks)
- (b) Assuming that the officer did not take any leave after 01-01-2010, calculate the earned leave encashment available to him at retirement on superannuation pay particulars on the date of retirement were as under-

	₹
Basic pay in Pay Band	21,530
Grade Pay	5,400
Dearness Allowance @ 45%	12,119
House Rent Allowance	8,079 (2 marks)
	(Total 10 marks)

4. (a) An Accountant drawing the pay of ₹9,340+2,400 in the pay band plus Grade pay of ₹5,200-20,400+2,400 from 01-07-2009 was appointed on regular basis in the same Pay Band but with a Grade Pay of ₹2,800 with effect from 01-12-2009. Proceeded on extraordinary leave without medical certificate for 61 days from 01-08-2010 and in continuation on earned leave for 31 days and HPL for 120 days. He was reverted to his substantive post of Accountant with effect from 01-03-2011. He was again promoted in the Pay Band plus Grade Pay of ₹5,200-20,400+2,800 with effect from 01-06-2011.

It was certified by the Competent Authority that but for his proceeding on leave He would have continued to officiate in the higher post.

Fix the pay of the official from time to time and date of his next increment in the higher post. (6 marks)

- (b) What are provisions relating to grant of LTC to-
 - (i) Re-employed officers.
 - (ii) Government Servant sent on deputation to posts in Public Sector Undertaking.

 (2 marks each)

 (Total 10 marks)
- 5. Comment on the following:-
 - (a) General Principal governing the grant of compensatory allowances? State whether the following are compensatory allowances or not:-
 - (i) Daily Allowance
 - (ii) Subsistence Allowance
 - (iii) Non-practicing allowance to doctors in lieu of private practice.

 (3 marks)
 - (b) "Next Below Rule" and benefits conferred by it. (3 marks)
 - (c) Different kinds of contributions payable to the lending authority when a Govt. Servant is sent on Foreign Service in India.

(3 marks)

- (d) Certificate required to the furnished by the Govt. Servant for claiming the Subsistence Allowance.

 (1 marks)

 (Total 10 marks)
- **6.** (a) Calculate the Interest on GPF for the year 2011-2012, with the following particulars:-

(i) Closing Balance as	Closing Balance as on 31-03-2011	₹82,000
(ii)	Monthly Subscription	₹4,000
(iii)	Rate of Interest	80%

- (iv) Taken an advance of ₹10,000 during June 2010, recoverable in 20 equal installments
- (v) Taken an advance of ₹6,000 during June 2011 recoverable in 10 equal installments including outstanding advance.

(6 marks)

- (b) Write short notes on:-
 - (i) Compensation Pension
 - (ii) Compassionate Allowance
 - (iii) Circumstances under which a Govt. Servant retains 'Lien' on a post.
 - (iv) Personal Pay

(1x4 = 4 marks)

(Total 10 marks)